Ex.P.-484

5-88.

पूरक कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक–09/15

जिला–रायपुर।
धारा–धारा–109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

श्री एम.के.राजपूत पिता स्व. सियाराम सिंह, उम्र 52 वर्ष, ओम आटो कार्नर के पीछे, जी.ई.रोड, पदुम नगर भिलाई–3, जिला दुर्ग, हाल पद व्याख्याता शास. उ.मा.विद्यालय, जंजगीरी, जिला दुर्ग, मो0 न0 98271–18921

––00––

पूछने पर बताया कि उपरोक्त पते पर रहता हूँ। दिनांक 12.02.2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अवंति विहार स्थित कार्यालय में ए.सी.बी. की टीम द्वारा रेड कार्यवाही के दौरान मुझे तथा श्री रामनारायण राम को साक्षी के रूप में उपस्थित होने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश के परिपालन में मैं तथा श्री रामनारायण राम ए.सी.बी. कार्यालय में उपस्थित हुए थे। ए.सी.बी. की टीम के अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्री अशोक जोशी एवं निरीक्षक श्री संजय देवस्थले के साथ रेड कार्यवाही में नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, रायपुर गए।

जप्ती पत्रक दिनांक 12.02.2015 के 13:35 को दिखाकर पूछने पर बताया कि रेड कार्यवाही के दौरान ए.सी.बी. की टीम द्वारा अरविन्द सिंह ध्रुव, स्टेनो टायपिस्ट से जप्त एक यंग–यंग कंपनी का काला मटमैला रंग का कपड़े का बैग, जिसमें 20 लाख रूपये लेकर आया था तथा शिवशंकर भट्ट के कहने पर पी.ए. टू एम.डी.नॉन, गिरीश शर्मा को देकर खाली बैग अपने पास रखा था उक्त बैग, सैमसंग कपंनी का डबल सिम का मोबाईल जिसका आई.एम.ई.आई. नंबर– 353202060227480/00 एवं 353203060227488/00 तथा मोबाईल में 88179–03346 व 98269–56641 नंबर का सिम लगा हुआ, कागज की दो छोटी पर्चियॉ व कॉपी का एक पेज जिसमें रूपये पैसे का लेनदेन का सांकेतिक रूप से हिसाब किताब लिखा हुआ है, एक पेन ड्राईव्हस् काले रंग का जिसमें 128 एम.बी. लिखा है, 01 पेन ड्राईव्ह काले रंग का सेनडिस्क कंपनी का तथा एक काले रंग का पेन ड्राईव्ह जिसका पिछला हिस्सा टूटा हुआ है, जिसे ए.सी.बी. की टीम द्वारा अरविन्द सिंह ध्रुव के पेश करने पर हमारे समक्ष जप्त किया जाकर जप्ती पत्रक तैयार किया गया है। जप्ती पत्रक पर मेरे तथा श्री रामनारायण राम के हस्ताक्षर हैं। डी0एस0पी0 श्री अशोक जोशी द्वारा अरविन्द सिंह ध्रुव से नान मुख्यालय रायपुर स्थित कार्यालय मे मौके पर ही पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान अरविन्द सिंह ध्रुव द्वारा हमारे समक्ष बताया गया था कि विभिन्न जिलो से अवैध वसूली की राशि शिवशंकर भट्ट द्वारा उसके पास एकत्रित कराई गई थी, जिसे लाकर गिरिश शर्मा को देने के लिए कहा गया था तब अरविन्द सिंह ध्रुव द्वारा 20 लाख रू0 लाकर गिरीश शर्मा को दे दिया था। अरविन्द ध्रुव ने यह भी बताया था कि उक्त 20 लाख में 10–10 लाख रूपया गिरीश शर्मा के माध्यम से डॉ. आलोक शुक्ला पदेन चेयरमेन एवं अनिल टुटेजा प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम को दिया जाना था। उक्त जानकारी अरविन्द सिंह ध्रुव ने मेरे तथा रामनारायण राम के समक्ष कबूल की थी, यही मेरा कथन है।

दिनांक–18.02.2015

ROAC, before me,

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर